

दैनिक

R

रोकठोक लेखनी

खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

पुलिसकर्मी से मारपीट में चार लोग गिरफ्तार



मुंबई : मुंबई में एक हाउसिंग सोसाइटी के परिसर में शाराब पीने से रोकने पर एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक उपनगर मलाड के मालवानी में जनकल्याण नगर सोसाइटी में सोमवार रात चार लोग घुसे और शाराब पीना शुरू कर दिया। एक स्थानीय व्यक्ति की शिकायत पर इलाके में गश्त कर रहे सिपाही कैलाश मोरे वहां पहुंचे और उन चारों से शाराब पीना बंद करने को कहा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस दौरान उनकी पुलिसकर्मी मोरे से बहस हुई और उन्होंने उस पर हमला कर दिया।

बंगाल के बाद अब केजरीवाल चले महाराष्ट्र टाके और शरद पवार से करेंगे मुलाकात



नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों विपक्षी दलों को एकजुट करने का है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जब यह अध्याधेश बिल के रूप में केंद्र सरकार राज्यसभा में लाए तब समूचा विपक्ष इसका विरोध करेगा।

संदीप दीक्षित ने बढ़ाई केजरीवाल की परेशानी

वहाँ इससे पहले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल की उम्मीदों पर पर पानी केर दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को किसी भी मामले में उनका समर्थन नहीं करना चाहिए। संदीप दीक्षित ने कहा, हारविंद केजरीवाल दिल्ली में बिल्कुल अन्याचारी और परी तरह से बेईमान और भ्रष्ट सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस तभी उनके साथ छड़ी है सकती है जब हम अपने सिद्धांतों और संविधान की अपनी समझ दोनों के साथ विश्वासघात करें।

और इसे कानून का रूप न लेने दो। इसी क्रम में वह आज मंगलवार को पश्चिम बंगाल गए और उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की।

महाराष्ट्र के दो दिनों के दौरे पर जाएंगे केजरीवाल

वहीं अब वह महाराष्ट्र के दो दिनों के दौरे पर जाएंगे। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के अनुसार वह मंगलवार देर शाम तक मुंबई पहुंच जाएंगे। जहाँ वह बुधवार 24 मई को शाम 4 बजे मात्रोंशी उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। इसके बाद गुरुवार 25 मई को दोपहर 3 बजे वह शरद पवार से यशवंतराव चव्हाण सेंटर में मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि वह इस दौरान दोनों नेताओं से केंद्र सरकार के अध्याधेश के खिलाफ राज्यसभा में उनका समर्थन करने की मांग करेंगे।

मुंबई में घर में घुसकर महिला टीचर से रेप...

आरोपी ने किया अप्राकृतिक सेक्स, गिरफ्तार

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के पूर्वी उपनगर चेंबर में एक हैरान कर देने वाली घटना हुई है। जहाँ एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर एक महिला टीचर के साथ उसके घर में घुसकर बलात्कार किया। आरोप है कि आरोपी ने महिला के साथ जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध (अप्राकृतिक सेक्स) भी बनाए। आरोपी पुलिस ने रविवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी के हवाले से बताया कि 38 वर्षीय पीड़िता एक स्कूल में पढ़ाती है। आरोपी और पीड़िता दोनों एक दूसरे को जानते हैं। पुलिस ने बताया कि 13 मई को आरोपी महिला के घर पर उसके ट्यूशन क्लासेज के लिए पैसे देने के बाहर गया था।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर बलात्कार पीड़िता को अपने साथ नवी मुंबई

चलने के लिए कहा। हालांकि, महिला ने मना कर दिया। इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर महिला के साथ दुष्कर्म किया और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। बारदात को अंजाम देने के बाद वह मौके से फरार हो गया। हालांकि बारदात के चार दिन बाद महिला ने पुलिस से संपर्क किया और अपने साथ हुई दरिंदगी को बताया किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उसकी तलाश शुरू की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी अभियान शुरू किया।

पब्लिक प्लेस पर सेक्स वर्क्स वर्क अपराध की श्रेणी में आएगा लेकिन... 'देह त्यापार अपराध नहीं'

मुंबई सत्र न्यायालय की सेक्स वर्क्स को लेकर की अहम टिप्पणी

मुंबई: सेक्स वर्कर से जुड़े एक मामले में मुंबई सत्र न्यायालय ने एक अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि सेक्स वर्क कोई अपराध नहीं है लेकिन अगर इसे पब्लिक प्लेस (सार्वजनिक जगह) पर किया जाये, जिससे अन्य लोगों को तकलीफ हो या उन्हें गलत लगे तो यह एक अपराध की श्रेणी में आएगा। इस टिप्पणी के साथ अदालत ने एक 34 साल की महिला (सेक्स वर्कर) को नजरबंदी से रिहा करने का आदेश दिया है। दरअसल इसी साल फरवरी के महीने में मुंबई के मुलुंड इलाके में एक पुलिस रेड के दौरान एक महिला



को वेश्यावृत्ति के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। महिला को तब स्थानीय मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था। अदालत ने महिला को एक साल के लिए मुंबई स्थित देवनार के सुधारगृह भेजने का आदेश दिया गया था। अदालत ने कहा था कि महिला को एक साल तक सुधारगृह में रखा जाए। ताकि उसकी उचित देखभाल की जा सके। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ महिला ने मुंबई सत्र न्यायालय में गुहराया थी।

सत्र न्यायालय ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि अटिकल 19 के तहत एक नागरिक

आटिकल 19 द्वारा दिए गए अधिकारों का हनन होगा। अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस की रिपोर्ट से यह नहीं लगता है कि महिला पब्लिक प्लेस पर वेश्यावृत्ति में लिप थी। यह महिला का अधिकार है कि वह कहीं भी रहें और कहीं भी आजा सकें।

सेक्स वर्क्स के भी मौलिक अधिकार होते हैं

अदालत ने कहा कि महिला को उसके काम और पुराने जीवन के आधार पर बिना उसकी इच्छा के विपरीत नजरबंद रखना ठीक नहीं है। पीड़िता के दो बच्चे हैं जिन्हें उनकी मां की जुरुरत है। जज ने इस

मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी हवाला दिया है। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से राज्य सरकारों को यह आदेश दिया कि वह एक सर्वे करें साथ ही इच्छा के विपरीत सुधारगृह में रखी गयी सेक्स वर्क्स (जो वयस्क हों) रिहा करें। आजादी के साथ रहना उनका भी तरह से हनन नहीं किया जा सकता है। पीड़िता ने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी सहित तीन पीड़ितों (जिसमें से एक में भी थी) को मज़बारी कोर्ट में पेश किया गया।



पालघर में दुर्घटना में
दो लोगों की मौत



तस्करों को कानून का कोई डर नहीं? बड़े पैमाने पर गुटखा की महाराष्ट्र में तस्करी



मुंबई : महाराष्ट्र में गुटखा पर प्रतिवध होने के बावजूद गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा जैसे पड़ोसी भाजपा शासित राज्यों से बड़े पैमाने पर गुटखा की महाराष्ट्र में तस्करी किए जाने का खुलासा हुआ है। गुटखा तस्करों को कानून का कोई डर नहीं होने के कारण प्रदेश में गुटखा तस्करी बढ़ती जा रही है। स्टेट फूड एंड ड्रा एडमिनिस्ट्रेशन के अंकड़ों के मुताबिक, साल भर में महाराष्ट्र में साढ़े पांच करोड़ रुपए का गुटखा जब्त किया गया है। महाराष्ट्र में २०१२ में गुटखा, पान मसाला, सुगंधित सुपारी, खर्बा के उत्पादन, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

विवाहिता की खुदकुशी मामले में पति पर केस



वर्सई : वालीव पुलिस स्टेशन अंतर्गत फणसपाडा क्षेत्र में एक २९ वर्षीय विवाहित महिला ने खुदकुशी कर ली थी। पुलिस ने महिला के पति के खिलाफ मामला कर लिया है। पूर्व के वालीव क्षेत्र 'फणसपाडा' की रहनेवाली आरती सिं (२९) नामक महिला ने १६ मई को घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मौके पर पहुंचकर पोलीस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम लिए भेज दिया था। संबंधित में पुलिस ने एडीआर के तहत दर्ज किया था। जांच पड़ताल के शिकायतकर्ता समर बहादुर सिंह शिकायत पर पुलिस ने मृतक के पति दुर्गेश उर्फ प्रिंस महेश्वर सिंह खिलाफ मामला दर्ज किया गया।



ठाणे : पिछले कुछ वर्षों में युवाओं में नशे की लत तेजी से फैल रही है। युवा पीढ़ी बाबौदी की तरफ जा रही है। जिसको देखते हुए सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। जिलाधिकारी अशोक शिनगारे की अध्यक्षता में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर कमेटी और जिला स्तरीय नशा विरोधी कार्यकारी समिति की बैठक हुई। जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक विक्रम देशमाने, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.

स्कूलों में जनजागृति कार्यक्रम का होगा आयोजन

बैठक में पुलिस अधीक्षक देशमाने ने जिला पुलिस तंत्र के माध्यम से नशीले पदार्थों के उपयोग, बिक्री और परिवहन को रोकने के लिए की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी। जिले के मुरवाड और शाहपुर औद्योगिक क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया है। साथ ही देश के बाहर से आने वाले कुरियर पर नजर रखी जा रही है। देशमाने ने कहा कि स्कूल खुलने के बाद स्कूलों में जनजागृति कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को जानकारी दी जाएगी।

हिट लिस्ट में खान सहित 10 लोगों का नाम एनआईए के सामने बिश्नोई का कबूलनामा



मुंबई : गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के हिट लिस्ट पर सलमान खान सहित १० लोगों के होने का खुलासा हुआ है। लॉरेंस ने एनआईए के सामने दिए बयान में अपनी टॉप १० टार्गेट लिस्ट का खुलासा किया है। बिश्नोई ने कबूलनामे में कहा है कि टॉप टेन में शामिल लोगों को अगला टार्गेट बनाया है, जिन्हें मारने वाला है। इसके लिए अपने गैंग में शामिल शूटरों को कारोबारियों से उगाही कर आने वाले पैसों से बेतन दे रहा है।

लॉरेंस बिश्नोई की टार्गेट लिस्ट में सबसे पहला नाम अभिनेता सलमान खान का है। हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में भी लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि मैं ४-५ साल से सलमान खान का मारने की कोशिश कर रहा हूं। उसने कहा कि हमारे जीवन का लक्ष्य सलमान खान को मारना है। बिश्नोई ने साफ कहा था कि मौका मिलते ही सलमान खान की हत्या कर देगा। इसके लिए सलमान को हिरन की हत्या के लिए माफी मांगने की बात कही थी। इसके बाद दूसरे नंबर पर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत का नाम है। मूसेवाला की बीते साल २९ मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने मूसेवाला पर ३० राउंड से अधिक गोलियां चलाई थीं। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के साथी गोल्डी बराड ने ली थी। बिश्नोई की लिस्ट में गौंडर गैंग का शार्प शूटर है।

बिश्नोई की लिस्ट में गौंडर गैंग

नशे के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई, जिलाधिकारी ने दिया निर्देश

गंगाधर परगे, जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. भाऊसाहेब कारेकर, आबकारी अधीक्षक नीलेश सांगडे, जिला कृषि अधिकारी दीपक कुटे, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त राजेश चौधरी, जिला अस्पताल के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर डॉ. मृणाली राठडू, जीएसटी अधीक्षक अंबरीश शिंदे, सहायक डाकघर अधीक्षक अमिता कुमारी, जिला सूचना अधिकारी नंद कुमार वाघमारे, स्थानीय क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक सुरेश मोरे सहित अन्य उपस्थित थे।

आयुक्तिक तकनीक का इस्तेमाल करें जिलाधिकारी शिनगारे ने कहा कि नशे युवाओं की जिंदगी बद्दी कर रहा है और इसका असर उनके परिवारों पर भी पड़ रहा है। इसलिए ऐसे पदार्थों को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है और सभी संबंधित विभाग सतर्क रहें। नशीले पदार्थों की तस्करी, बिक्री और खपत पर अंकुश लगाने के लिए आयुक्तिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जाना चाहिए।

जिलाधिकारी शिनगारे ने कहा कि नशे युवाओं की जिंदगी बद्दी कर रहा है और इसका असर उनके परिवारों पर भी पड़ रहा है। इसलिए ऐसे पदार्थों को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है और सभी संबंधित विभाग सतर्क रहें। नशीले पदार्थों की तस्करी, बिक्री और खपत पर अंकुश लगाने के लिए आयुक्तिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जाना चाहिए।

निगम (एमआईडीसी) इलाके में पालगांव के पास हुई। अधिकारी

ने बताया कि मृतकों की पहचान नरेन्द्र चितामन बारी (४२) तथा रुपेश बारी (४०) के तौर पर की

गई है। ये दोनों एमआईडीसी के

कार्यालय में काम करते थे और


काम से वापस लौट रहे थे तभी एक

कार इनकी मोटरसाइकिल से टकरा

गई। उन्होंने बताया कि शवों को

पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया।

समीर वानखेडे को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार...!



मुंबई : साल २०११ में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल अधिकारी समीर वानखेडे को बॉन्डे हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा कि साहरुख खान की चैट को लौकिक क्यों की? अदालत ने बड़ी राहत देते हुए सोमवार को वानखेडे की गिरफ्तारी पर ८ जून तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने समीर वानखेडे को उनके और शाहरुख खान के बीच कथित व्हाट्सएप चैट के लौकिक होने के लिए भी फटकार भी लगाई। वहीं सीबीआई ने कहा कि वानखेडे ने जानबूझकर शाहरुख खान की चैट मैटिया के पूरी सजिश अमित डागर और कौशल चौधरी ने रची थी। लिस्ट में बंबीहा गैंग के हेड सुखप्रीत सिंह बुद्धा, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पुर्ण नाम भी हैं। इस पर सीबीआई ने कहा कि चैट वानखेडे की बेगुनाही का सबूत नहीं है। इंकोर्ट ने सीबीआई से वानखेडे के खिलाफ कोई फटकार नहीं करने को कहा है। इंकोर्ट ने सीबीआई से वानखेडे के खिलाफ कोई फटकार नहीं करने को कहा है। अदालत ने वानखेडे को इस मामले की जांच या याचिका पर मीडिया में कोई बयान नहीं देने की भी हिदायद दी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वानखेडे को जांच में सहयोग करना होगा। जब भी जरूरत होगी उन्हें सीबीआई के सामने पेश होना होगा।

कोर्ट में वानखेडे के वकील ने



ठाणे में डाक विभाग, रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी, 5 के खिलाफ मामला दर्ज

ठाणे : डाक विभाग और रेलवे में टिकट निरीक्षक की नौकरी दिलाने का झांसा देकर पांच लोगों ने कथित तौर पर महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक व्यक्ति से ढाई लाख रुपये की ठगी की। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति एक चौकीदार के तौर पर काम करता था और ठाकुरली का निवासी है। अगस्त 2022 में एक रिशेदर के जरिए वह एक व्यक्ति और उसकी पत्नी के संपर्क में आया। दोनों मामले के मुख्य आरोपी हैं।

दंपत्ति ने शुरू में उसे 2.50 लाख रुपये देने पर सिडकों में नौकरी दिलाने और फिर 3.50 लाख रुपये देने पर डाक विभाग में नौकरी दिलाने का वादा किया। पीड़ित ने डाक विभाग में नौकरी के लिए दंपत्ति को 1.70 लाख रुपये दिए। प्राथमिकी के अनुसार, दंपत्ति ने



बाद में पीड़ित से कहा कि डाक विभाग में उनके लिए नौकरी की व्यवस्था नहीं की जा सकती है, लेकिन अब वह आठ लाख रुपये दे सकते हैं तो नारेड में उनका दोस्त रेलवे में टिकट निरीक्षक के रूप में नौकरी दिला सकता है, इसके बाद उसने उन्हें 5.46 लाख रुपये दे दिए। हालांकि, भुगतान करने के बाद दंपति गोलमोल जवाब देने लगे।

दिसंबर 2022 में उन्हें एक पर्चा (फॉर्म) भरने के लिए कहा गया जिसके बाद उन्हें एक ईमेल मिला जिसमें कहा गया कि उनका पंजीकरण सफल रहा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ दिन के बाद उन्हें रेलवे भर्ती बोर्ड के

‘चीफ पर्सनल ऑफिसर’ के नाम से जारी एक पत्र के साथ ‘व्हाट्सएप पर एक सदैश के साथ मिला, जिसमें उन्हें प्रशिक्षण के लिए जलगांव जिले के भुसावल जाने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा, “जब पीड़ित ने पत्र को सत्यापित करने की कोशिश की, तो यह फर्जी पाया गया। दंपत्ति ने उसे नौकरी पत्र (जब लेटर) प्राप्त करने के लिए मंडल रेल प्रबंधन के कार्यालय से संपर्क करने को कहा। कुछ दिन बाद उन्हें मध्य रेलवे से जनवरी 2023 से नियुक्ति का एक कथित पत्र मिला, जो बाद में नकली निकला। इस बीच, मार्च में उन्हें दंपत्ति ने फर्जी मुहर लगा टिकट निरीक्षक के पद से संबंधित ‘प्रशिक्षण पत्र’ भेजा। अधिकारी ने बताया कि इसके बाद व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाड़ी हुई है और उसने अपने 7.16 लाख रुपये वापस मांगे, जिसमें से उसे अभी तक 4.66 लाख रुपये मिले।

जयंत पाटिल की ईडी जांच पर गरमाई महाराष्ट्र की सियासत, छगन भुजबल बोले- '...डर पैदा मत करो'

महाराष्ट्र: एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल से ईडी ने आईएल और एफएस द्वारा करोड़ों रुपये की हेराफेरी और संदिग्ध ऋणों के वितरण के संबंध में पूछताछ की। वे इस पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर भी पहुंचे थे। इस बीच एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने इस पर प्रतिक्रिया दी है।

क्या बोले छगन भुजबल?

छगन भुजबल ने कहा, “हम पूरे देश में देख रहे हैं कि कैसे भारत सरकार के जांच तंत्र का उपयोग किया जा रहा है। यह पहली बार मुझ



पर प्रयोग किया गया था। छगन भुजबल ने कहा कि इससे पहले ईडी का मामला क्या है, यह कोई नहीं जानता था। उन्होंने आगे कहा, ‘‘समय-समय पर ईडी का इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि देश भर में दबाव के लिए ही मन मानेगा। उस दिन सुप्रीम कोर्ट से भी कहा गया था कि डर पैदा मत करो। पैनिक माहौल न बनाएं।

लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना ही हमारे हाथ में है। हमारे द्वारा कोई गलत कदम नहीं उठाया गया है। वे कितनी बार पूछताछ करें, कुछ भी

नहीं निकलता है।”

छगन भुजबल ने पूछा, “उन्होंने (बीजेपी) कहा है कि उनका वाशिंग पाउडर गुजरात से आता है। ऐसे में अगर वे उनके पास जाते हैं, तो उन्हें उस मरीन में डाल दिया जाता है, फिर उन्हें उस पाउडर

से साफ किया जाता है।”

जयंत पाटिल की ईडी जांच

जयंत पाटिल राज्य के पूर्व गृह और पूर्व वित्त मंत्री हैं। वे एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वह सात बार विधायक चुने जा चुके हैं। ईडी ने पाटिल को शुक्रवार सुबह बयान दर्ज करने के लिए तलब किया था। लेकिन उन्होंने इस समन को लेकर ईडी को पत्र लिखकर समय मांगा था। इसके मुताबिक ईडी ने जयंत पाटिल को एक हफ्ते का वक्त दिया गया है।

है . ईडी ने पाटिल को दूसरा समन जारी कर 22 मई को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था।

कार्यकर्ता में गुस्सा

एनसीपी कार्यकर्ता ने एनसीपी क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर ईडी और बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। जयंत पाटिल के नाम से नारे लग रहे हैं और मुंबई में जयंत पाटिल के घर के बाहर बैनर भी लगे हैं। इस बीच, किसी भी संभावित स्थिति से बचने के लिए एनसीपी कार्यालय के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

संजय राउत का बड़ा बयान... कहा- ठाकरे सेना को मिलनी चाहिए 19 सीटें, कांग्रेस हुई खफा



कांग्रेस ने क्या दावा किया?

कांग्रेस ने कहा, ‘‘इस बार सीट बंटवारे का फार्मला नए सिरे से तय होना चाहिए। जिसकी जहां तक त है, उसके वह सीट मिलनी चाहिए। 2019 लोकसभा चुनाव नीतीजों के आधार पर सीटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में माहौल बदला है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति अलग है। पहले से बेहतर है।

स्थिति बेहतर हुई है।

पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने क्या कहा?

पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने कहा, ‘‘समझौता करने का सवाल नहीं है। मेरिट के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। आगामी लोकसभा चुनाव में कितनी लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, इस पर आज चर्चा की गई है। जिसकी क्षमता जिस सीट पर होगी, वह दल वहां चुनाव लड़ेगा, ऐसा करने से जीत आसान होगी। हर बार चुनावी स्थिति बदलती है। इस बार चुनावी स्थिति अलग है। पहले से बेहतर है।

शादी से पहले हल्दी समारोह में 2 समूहों में तगड़ी मारपीट, 4 घायल



ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले में शादी से पहले हल्दी समारोह में दो समूहों के सदस्यों ने कथित तौर पर लोहे की छाँड़ों, चाकुओं और लातियों से एक-दूसरे पर हमला किया, जिससे चार लोग घायल हो गए। अधिकारी के अनुसार फाटा में हुई इस घटना के बाद दोनों पक्षों के सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी के मुताबिक शादी से एक दिन पहले हल्दी कार्यक्रम में लोग नाच रहे थे, तभी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से टक्करा गया, जिससे बहस शुरू हो गई और बाद में दो समूहों के बीच झड़प हो गई। उन्होंने बताया कि बहस शुरू हो गई और बाद में दो समूहों के बीच झड़प हो गई।

ठाणे में हानिकारक रसायन रखने के आरोप में दो लोगों पर मामला दर्ज



ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने उचित परमिट के बिना अपने गोदाम में 10 लाख रुपये के हानिकारक रसायन रखने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने गोदाम के बाहर लोगों को छापे के दौरान पुलिस को भिंवड़ी इलाके के बड़गांव और पूर्णा गांव में स्थित गोदाम में एक टैंकर के ड्रम में रखे हानिकारक रसायन मिले। उन्होंने बताया कि पुलिस ने गोदाम से मानव सेहत के लिए हानिकारक रसायन जब्त किए हैं, जिनका भंडारण करने के लिए एक उचित परमिट की आवश्यकता होती है। पुलिस के मुताबिक, मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है और इसकी जांच की जा रही है।